

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, पी.एच.ई. -द्वितीय,
राजस्थान आवासन मण्डल, 5/एच/5, इंदिरा गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक: 392

दिनांक : 6-10-15


निविदा सूचना संख्या : 03/2015-2016

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर (राज.) की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए मण्डल में नियमानुसार उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सीलबन्ध निविदायें, जो निम्न प्रकार के कार्यों का अनुभव रखते हों से आमन्त्रित की जाती हैं। निविदायें निम्न कार्यक्रमानुसार खण्ड कार्यालय में खोली जायेगी। मण्डल के अतिरिक्त विभिन्न विभागों में 'अ' अथवा 'अअ' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों को निविदा आवंटन के लिए कार्यानुभव संबंधित रिपोर्ट जिस विभाग में उन्होंने कार्य सम्पादित किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी। कार्य रिपोर्ट उचित पाये जाने पर ठेकेदारों द्वारा दो प्रतिशत एवं मण्डल में पंजीकृत ठेकेदारों से निर्धारित आधा प्रतिशत धरोहर राशि जमा कराने पर ही उन्हें निविदा प्रपत्र जारी किये जायेंगे। निविदा प्रपत्र दिनांक 12.10.2015 से 23.10.2015 अपराह्न 12:00 बजे तक बेची जाकर दिनांक 26.10.2015 को अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा इसी दिन कार्यालय में अपराह्न 3:30 बजे खोली जावेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क रुपये में	ठेकेदार द्वारा देय धरोहर राशि रुपये में	कार्य की अवधि
1.	राजस्थान आवासन मण्डल की कॉलोनी टॉक की सीवरेज योजना के संचालन एवं संधारण का कार्य।	7.00	500.00	14000.00	12 माह
2.	राजस्थान आवासन मण्डल की कॉलोनी इंदिरा गांधी नगर जयपुर के सेक्टर 8 में सीवर लाईन एवं हाउस कनेक्शन मय आपूर्ति जोड़ने व बिछाने का कार्य।	9.84	500.00	19680.00	04 माह
3.	राजस्थान आवासन मण्डल की कॉलोनी इंदिरा गांधी नगर जयपुर के सेक्टर-7 व 8 की जलयोजना हेतु पाईप लाईन एवं हाउस कनेक्शन मय आपूर्ति जोड़ने व बिछाने का कार्य।	8.33	500.00	16660.00	04 माह

नोट :

- (1) धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट आवासीय अभियन्ता, खण्ड- पी.एच.ई.-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के पक्ष में देय होगी।
- (2) धरोहर राशि मण्डल में योग्यता श्रेणी अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा अमानत राशि की आधा प्रतिशत एवं अन्य ठेकेदारों पर दो प्रतिशत देय होगी।
- (3) निविदा आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण की छयाप्रति, वाणिज्य कर प्रमाण पत्र सर्विस टैक्स, पंजीकृत की छयाप्रति संलग्न करना होगा। सर्विस टैक्स अधिनियम प्रावधानों के अनुसार दायित्व ठेकेदारों को वहन करना होगा।
- (4) राजस्थान आवासन मण्डल में भविष्य निधि एक्ट लागू है, जिसका समस्त दायित्व ठेकेदारों को वहन करना होगा।
- (5) राजस्थान आवासन मण्डल को एक या सभी निविदाएं रद्द करने का अधिकार होगा।
- (6) निविदाएं सशर्त स्वीकार नहीं होंगी।
- (7) यदि निविदा प्रपत्र बेचने एवं प्राप्त कर खोलने की अन्तिम तिथि को किसी कारणवश राजकीय अवकाश घोषित है तो उक्त तिथियों इनके अग्रिम कार्य दिवस की दिनांक को होगी।
- (8) निविदा प्रपत्र उन्हें संवेदकों को जारी किये जायेंगे जिन्हें वर्णित कार्य का समुचित अनुभव हो तथा अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
- (8) अन्य शर्त निविदा प्रपत्र के अनुसार होगी।



आवासीय अभियन्ता
खण्ड पी.एच.ई. द्वितीय,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर